Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 16-05-2006

Participants : Suman Shri Ramji Lal

an>

Title : Discussion regarding suicide by farmers in various parts of the Country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No.19 – Discussion under rule 193. Shri Ramji Lal Suman.

… (*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि हाउस व्यवस्थित हो, तो मैं बोलना शुरू करूं।

उपाध्यक्ष महोदय :आप अपनी बात कहना शुरू कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, इस स्थिति में मैं कैसे बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलना शुरू कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में जिस तरह किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, इतने अत्यधिक महत्वपूर्ण विाय पर यह सदन चर्चा कर रहा है। न सिर्फ आज, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस विाय पर सदन ने चिंता व्यक्त की है, किसानों की आत्महत्या के ि वाय पर यहां चर्चा हुई है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि किसानों के हालात सुधारने के लिए कोई साकारात्मक उपाय, कोई बेहतर प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हुए हैं।

महोदय, इस विाय में जो विभिन्न अध्ययन हुए हैं, जांच-पड़ताल हुई है और विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं, उनके मुताबिक हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में लगभग 26 हजार किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को कोई दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए।

17.28 hrs. (Dr. Satyanarayan Jatiya in the Chair)

ऐसी दीर्घकालीन योजना सरकार ने अभी तक नहीं बनाई। वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने जरूर कहा है कि किसानों की आत्महत्या का कारण उन्हें ऋण का उपलब्ध नहीं होना है और वे इस समस्या का समाधान कर रहे हैं, जिससे कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर न हों। महोदय, इस समस्या का समाधान केवल ऋण की समस्या को हल करके नहीं किया जा सकता है। आज सबसे अहम सवाल यह है कि खेती लाभ का काम नहीं रह गया है। किसान जो ऋण लेता है, उस ऋण को वापिस करने की क्षमता किसान में नहीं होती। आज स्थिति यह है कि पंजाब, जो खेती के लिहाज से सबसे बेहतर माना जाता है, वहां के लोग भी कृाि के धंधे को छोड़ना चाहते हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. एस.एस.गिल ने कहा है कि पंजाब के 36 प्रतिशत लोग खेती के काम को छोड़ना चाहते हैं और 66 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो खेती के काम को छोड़ने के लिए सोचने को मजबूर हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में खेत की जोत का आकार घटा है। सरकार ऋण की बात कहती है, लेकिन देश के वित्तीय संस्थानों से हमारे किसानों को कितना ऋण मिलता है, यह अलग सवाल है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के बाद कि 18 फीसदी ऋण किसानों को दिया जाएगा, इसकी समीक्षा होनी चाहिए।

मेरा मानना है कि उन्हें जो ऋण मिल रहा है, उस ऋण से किसान का काम नहीं चलता है। पचास प्रतिशत से लेकर अस्सी प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो गांव के साहूकारों से ऋण लेते हैं और उस ऋण की ब्याज दर चालीस प्रतिशत से लेकर साठ प्रतिशत तक है। यह स्थिति है, जिससे किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसी कारण हमारा किसान पूरी तरह से निजी क्षेत्र के ऋणदाता पर निर्भर करता है। देश में पन्द्रह प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है जबकि शेा किसानों के पास औसतन लगभग डेढ़ हेक्टेयर भूमि है। आज किसानों पर प्रति किसान परिवार औसतन 12,585 रुपए कर्ज है। पंजाब जैसे कृाि समृद्ध राज्य में प्रति कृाक परिवार पर 41,576 रुपए ऋण है, जबकि हरियाणा के

किसानों पर 26,700 रुपए ऋण है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, जो गरीब प्रांत हैं, वहां का निर्धन किसान सरकारी और गैर सरकारी कर्ज को चुकाने का काम, अदा करने का काम कैसे करेगा? यह निश्चित रूप से विचारणीय सवाल है।

सभापति महोदय, हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल किसानों को ऋण-मुक्त करना है। मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कृषि घाटे का सौदा होने की वजह से वर्ा 1991 से 2001 के बीच खेती करने वालों की संख्या निरंतर कम होती गई है। वर्ा 1991 में 11 करोड़ 70 लाख लोग खेती के काम में लगे थे और अब यह संख्या घटकर 10 करोड़ 36 लाख रह गई है। खेती करने वालों का औसत देश में रोजाना घट रहा है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों में खेती की विकास दर मात्र 1.3 प्रतिशत रह गई है। यह सरकार दावा करती है और कहती है कि कृषि की विकास दर को हमें चार फीसदी तक ले जाना है। सरकार का जिस तरह से संरक्षण और संवर्द्धन किसान को मिल रहा है, उससे लगता है कि इस देश के किसान को भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है। किसानों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और हम कृषि क्षेत्र में विकास दर उपलब्ध कराना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं है।

यह बहुत चिंता का विाय है कि आजाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान निरंतर घट रहा है। आज स्थिति यह है कि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 प्रतिशत योगदान कृषि का है। राट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की है कि हिंदुस्तान के किसान को चार प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिलना चाहिए। वित्त मंत्री जी ने इस सदन में बजट पेश करते हुए अपने भााण में सात प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को ऋण देने की घोाणा की थी, लेकिन उसमें एक मर्यादा बांधी थी कि जो तीन लाख रुपए तक ऋण लेगा, उसे सात प्रतिशत ब्याज दर देनी पड़ेगी और जो तीन लाख से ज्यादा ऋण लेगा उसके लिए अलग शर्तें होंगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार से जो किसान ऋण लेना चाहता है, उसके लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। वह जितना चाहे ऋण ले, उस पर ब्याज दर एकसमान होनी चाहिए।

आज खगोलीकरण का युग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम करना क्या चाहते हैं? हमने दुनिया के किसानों की स्पर्द्धा में अपने किसानों को खड़ा कर दिया है, लेकिन दुनिया के किसानों को जो सहूलियतें मिल रही हैं, उन्हें वहां की सरकार की ओर से जो लाभ मिल रहे हैं, वे लाभ हमारी देश के किसानों को नहीं मिल रहे हैं। अमरीका, कनाडा, जापान और चीन, बहुत समृद्ध देश हैं, जिन देशों के सामने हम स्पर्द्धा में खड़े हैं। क्या हम स्पर्द्धा में उनके सामने टिक पाएंगे? सही मायने में वास्तविकता क्या है? यदि पिछले दो वर्षों के आंकड़ें देखें, तो सौ रुपए कर्ज में से नौ रूपया किसानों को कर्ज के रूप में मिला है। मेरा अपना स्पट मानना है, मैं कहता हूं और पूरा देश कहता है कि हमारे देश में 65-70 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। हमारे देश के 65-70 फीसदी लोग ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, जिनका एकमात्र धंधा कृषि है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 18 और 20 प्रतिशत क्या होता है, इस देश में जितने प्रतिशत किसान खेती का काम करते हैं, उन्हें उसी अनुपात में बैंकों से ऋण मिलना चाहिए। यदि सही मायनो में यह सरकार किसानों की स्थिति सुधारना चाहती है तो ऐसा होना बहुत जरूरी है।...(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : अब कल के लिए रहने दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : हम तैयार हैं। अगर सभापति महोदय की आज्ञा हो, तो हम इस चर्चा को कल ले सकते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां जारी है।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, इस चर्चा को कल ले लीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सदन की राय पर निर्भर करेगा।

श्री रामजीलाल सुमन : इसे कल ले लीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यही सदन की राय है।

सभापति महोदय : आप छः बजे तक बहस चलाइये, अभी पर्याप्त समय है।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सदन की भावना को देखते हुए, आप निर्णय ले सकते हैं।

सभापति महोदय : अभी स्पेशल मैन्शन भी बाकी है, उन पर भी माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : हम आपसे आग्रह करते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसे कल लिया जाए।

सभापति महोदय : मुझे कोई कठिनाई नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन : सदन की राय है कि इसे कल ले लिया जाए।

सभापति महोदय : सुमन जी, अभी जीरो ऑवर भी बाकी है।

श्री रामजीलाल सुमन : आप अभी जीरो ऑवर ले लीजिए।

सभापति महोदय : जीरो ऑवर का क्या होगा?

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जीरो ऑवर भी कल ले लीजिए।

सभापति महोदय : यह चर्चा आगे जारी रखी जायेगी। जीरो ऑवर के लिए जिन्होंने नोटिस दिये हैं, अब उन्हें बोलना है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति जी, घड़ी में पौन बजा है, यह घड़ी गलत है।

सभापति महोदय : मेरे सामने वाली घड़ी सही है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह घड़ी गलत है, इसमें पौन बजा है।

सभापति महोदय : आप घड़ी के बारे में चिंता न करें, मेरे सामने वाली घड़ी सही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सदन की क्या राय है, आप मुझे अंतिम रूप से बता दें।

अनेक माननीय सदस्य :यह चर्चा कल ली जाए।

सभापति महोदय : जीरो ऑवर के बारे में क्या कहना है।

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जीरो ऑवर भी कल लिया जाए।

सभापति महोदय : आपका चाहते है कि जीरो ऑवर भी कल लिया जाए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जीरो ऑवर भी कल लिया जाए। जीरो ऑवर हम ही लोगों का है, उसमें हम लोगों को ही बोलना है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि पूरेसदन की यही राय है कि इस विाय को कल लिया जाए।

The House now stands adjourned till 11.00 am. tomorrow.

17.37 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, May 17, 2006/Vaisakha 27, 1928 (Saka).

[r1]Fd by P

[r2]Cd. by w1